UPSI010053902017

न्यायालय 12th Addl. District and Sessions Judge, Sitapur

पीठासीन अधिकारी– Abhishek Upadhyaya, **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP**01641

old R. C. Appeal/100001/2017

मोहम्मद यूसुफ **बनाम** **रियासत अली।**

दिनांक– 11.01.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 49ग के लिये नियत है। पूर्व में उभयपक्षों को प्रार्थनापत्र 49ग पर सविस्तार सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 49ग–

प्रार्थनापत्र 49ग उत्तरदाता रियासत अली की तरफ से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मूल रेन्ट कंट्रोल वाद सं०–3/2009 के गुण–दोष के आधार पर उत्तरदाता के पक्ष में पारित आदेश दिनांकित 06.05.2017 के विरूद्ध रेन्ट कंट्रोल अपील सं०–1/2017 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की जिसमें विलम्ब करने की नियत से दिनांक 16.03.2018 को निराधार व अनावश्यक संशोधन प्रार्थनापत्र मूल वाद उपरोक्त में दाखिल लिखित उत्तर कागज सं०–21क में पूर्व में किये कथनों के विपरीत संशोधन व पुनरावृत्ति करते हुये संशोधन लिखित उत्तर में करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया जिस पर दिनांक 22.05.2018 को मय शपथपत्र आपत्ति उत्तरदाता द्वारा दाखिल की गयी। वादग्रस्त दुकान उत्तरदाता व उसके पूर्व स्वामी हाजी अब्दुल लतीफ को लैण्डलार्ड मानते हुये व स्वयं को वादीय दुकान का किरायेदार मानते हुये पूर्व में लिखित उत्तर व शपथपत्र व गवाही उपरोक्त मूल वाद में व अन्य विवादित दुकान के बावत अपीलार्थी द्वारा योजित किये गये अन्य वाद व अपील जिनका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय तक किया जा चुका है और लैण्डलार्ड व किरायेदार के सम्बन्ध उभयपक्षों के मध्य हैं, के बावत आदेश व फाइन्डिंग भी दी जा चुकी है जो अंतिम एवं निर्णायक हो चुकी है जिसके आदेश भी उत्तरदाता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में भी दाखिल किये जा चुके हैं जो शामिल पत्रावली हैं तथा रेन्ट कंट्रोल वाद में उक्त सम्बन्ध होने पर ग्राह्यता स्वामित्व की ग्राह्यता विवादित दुकान के सम्बन्ध में विचारणीय नहीं है न ही विधि के अनुसार होती है। परन्तु उक्त के विपरीत अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाता की आपत्ति दिनांकित 22.05.2018 के विरूद्ध न्यायालयों को गुमराह करने व दुर्भावना की नियत से अनेकों नवीन तथ्य जो कि आपत्ति में अंकित नहीं हैं उन्हें बिना अधिकार अंकित करते हुये बगैर न्यायालय की अनुमति लिये हुये अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण व विधि के विपरीत प्रतियुत्तर दाखिल किया है तथा न्यायालयों को गुमराह करके विधि एवं प्रावधानों के विरूद्ध प्रतियुत्तर के साथ बिना किसी प्रावधान एवं अनुमति के अपील में अभिलेखीय साक्ष्य भी संलग्न करके दाखिल किया है जो किसी भी दशा में अपीलीय स्तर पर अभिलेखीय साक्ष्य ग्राह्य नहीं है और न ही अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल करने का कोई अधिकार अपीलार्थी को है। इस कारण उत्तरदाता द्वारा दाखिल की गयी आपत्ति के विरूद्ध प्रतियुत्तर व साथ में दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य दिनांकित 02.07.2018 जो कि अपीलार्थी द्वारा बदनियती से दाखिल किया गया है उसे वापस किया जाना व आपत्ति से सम्बन्धित प्रतियुत्तर न होने के कारण निरस्त किया जाना प्रत्येक दशा में न्यायसंगत है। अतः न्यायहित में

निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रतियुत्तर व अभिलेखीय साक्ष्य दिनांकित 02.07.2018 को वापस अथवा निरस्त किया जाये तथा समुचित आदेश पारित करने की कृपा की जाये।

अपीलकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 49 ग के विरूद्ध अपनी आपत्ति 52 ग प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया है कि प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ता ने अपने वादोत्तर में संशोधन किये जाने की अनुमति हेतु एक प्रार्थनापत्र दिनांक 16.03.2018 को प्रस्तुत किया है। अपीलकर्ता के प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 व्यवहार संहिता के विरूद्ध उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत की गयी। आपत्ति दिनांक 22.05.2018 का एक प्रत्युत्तर, अपीलकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर शपथपत्र सहित दिनांक 02.07.2018 को माननीय अपीलीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया था। अपीलकर्ता के उक्त प्रतिउत्तर व प्रत्युत्तर शपथपत्र के विरूद्ध उत्तरदाता ने जो आपत्ति/प्रार्थनापत्र दिनांक 12.07.2018 प्रस्तुत किया है, वह ग्राह्य नहीं है। वास्तव में कानूनन अपीलकर्ता को उत्तरदाता की आपत्ति व काउन्टर शपथपत्र दिनांक 22.05.2018 का प्रत्युत्तर एवं प्रत्युत्तर शपथपत्र, न्यायालय में प्रस्तुत करने का कानूनन अवसर प्राप्त था और यदि अपीलकर्ता उत्तरदाता की आपत्ति एवं काउन्टर शपथपत्र का प्रत्युत्तर व प्रत्युत्तर शपथपत्र नहीं प्रस्तुत करता तो उत्तरदाता द्वारा यह बहस की जाती कि उसका काउन्टर शपथपत्र एवं आपत्ति को, प्रत्युत्तर व प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत करके चुनौती नहीं दी गयी, इसलिये उसकी आपत्ति को अवश्य माना जाये। उत्तरदाता की इस सम्भावित तर्क को समाप्त करने के लिये ही अपीलकर्ता ने विधि अनुसार अपना प्रत्युत्तर व प्रत्युत्तर शपथपत्र व प्रत्युत्तर के समर्थन में अभिलेख, अपने प्रत्युत्तर शपथपत्र के अंश के रूप में अपने कथन को न्यायालय के सम्मुख सत्य एवं बलवती सिद्ध करने के लिये दाखिल किये हैं और उसको उत्तरदाता द्वारा चुनौती दी जा सकती है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता की आपत्ति का समुचित उत्तर अपने प्रत्युत्तर दिनांक 02.07.2018 द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता का प्रार्थनापत्र/आपत्ति दिनांक 12.07.2018 किसी भी स्तर पर ग्राह्य नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि उत्तरदाता के प्रार्थनापत्र/आपत्ति दिनांकित 12.07.2018 वास्ते निरस्त किये जाने अपीलार्थी का प्रतिउत्तर सव्यय निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

अपने मौखिक तर्क में उत्तरदाता रियासत अली के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि जरिये प्रतियुत्तर अपीलार्थी इस रेन्ट कंट्रोल अपील में पत्रावली पर साक्ष्य दाखिल करना चाहता है जबकि अपील में अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करने का सीमित दायरा होता है। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में आगे अभिकथित किया गया है कि रेन्ट कंट्रोल की अपील पर भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रभावी होती है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 27 अतिरिक्त साक्ष्य देने की प्रक्रिया को व्याख्यानित करती है और बताती है कि किस परिस्थिति में अपील में अतिरिक्त साक्ष्य न्यायालय ग्रहण करेगी। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में आगे अभिकथित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दस्तावेजीय साक्ष्य दाखिल करने में न तो न्यायालय से अनुमति चाही गयी और न ही यह बताया गया है कि वह किन परिस्थितियों में किस स्तर पर दस्तावेजीय साक्ष्य दाखिल कर रहे हैं। इस परिस्थिति में उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में यह अभिकथित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र पर आपत्ति के जवाब में प्रतियुत्तर पूर्णतया निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति विरूद्ध प्रार्थनापत्र 49 ग के समर्थन में यह अभिकथित किया है कि उनके द्वारा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दाखिल किये जा रहे हैं अपितु यह उनका अधिकार है कि वह उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संशोधन प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति के विरूद्ध प्रति

आपत्ति दाखिल कर सकें और उन्हीं प्रतियुत्तर में अभिकथित तथ्यों के समर्थन में वह दस्तावेज संलग्न किये गये हैं। उपरोक्त दस्तावेज मात्र प्रतियुत्तर में अभिकथित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं तथा वह कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है तथा न्यायालय से अनुरोध किया है कि उत्तरदाता का प्रार्थनापत्र 49ग निरस्त करने की कृपा की जाये।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न नजीरों प्रस्तुत की हैं–

1– **Eastern Equlpment & Sales Ltd. Versus Ing. Yash Kumar Khanna** 2008 (3) **AWC** 2645 (**SC**)

2– **Jaswant Kaur and another Versus Subhash Paliwal and Others** 2010 (1) **AWC** 926 (**SC**)

3– **The Municipal Corporation of Grater Bombay, Appellant Versus Lala Pancham and Others, Respondents AIR** 1965 **SUPREME COURT** 1008

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की हैं–

1– **Subhash and Others Versus State of U.P. and Others** [2009 (74) **ALR** 603]

2– **Mahila Ramkali Devi and Others Versus Nandram (D) through L.Rs.and Others** [2015 (111) **ALR** 471]

3– **Ghanshyam Das and Others Versus Dominion of India and Others** 1984 **ACJ page** 550

4– **Ram Swaroop Versus District Judge, Hardoi and Others** 1984 **ARC** (2) 39

5– **D.D. Victor Versus District Judge, Bareilly and Others** 1978 **ALR** 769

6– **Gram Panchayat Gram Naulakha Appellant Versus Ujagar Singh and Others Respondents AIR** 2000 **SUPREME COURT** 3272

7– **Gangai Vinayagar Temple and Others Appellant Versus Meenakashi Ammal and Others** [2010 (109) **RD** 420]

पूर्व में उभयपक्षों को मेरे द्वारा सविस्तार सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रार्थनापत्र 49ग उत्तरदाता द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र की आपत्ति के प्रतियुत्तर में उत्तरदाता द्वारा कुछ ऐसे कथनों व अभिलेखीय साक्ष्य को पत्रावली पर लिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र के आपत्ति के विरूद्ध अपना प्रतियुत्तर प्रस्तुत किया है। जहाँ तक उत्तरदाता के लिखित कथनों का सवाल है तो वह ग्राह्य योग्य हैं परन्तु प्रतियुत्तर 49ग के साथ अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उपरोक्त अभिलेखीय प्रतियुत्तर में अभिकथित बातों को पुष्ट किये जाने हेतु

प्रस्तुत किया गया है और वह कोई साक्ष्य नहीं है, अपने में बल नहीं रखता। प्रतियुत्तर में अपीलार्थी द्वारा कुछ तथ्य अभिकथित किये जा रहे हैं जिनको सिद्ध किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रतियुत्तर के साथ कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं तथा उपरोक्त दस्तावेज साक्ष्य के दायरे में आते हैं। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दस्तावेज सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। इस कारण उपरोक्त अभिलेखीय दस्तावेज विधि संवत तरीके से पत्रावली पर नहीं प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र की परिस्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रतियुत्तर में अभिकथित कथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार है परन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य विधि अनुरूप नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस परिस्थिति में प्रार्थनापत्र 49 ग आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 49 ग आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रतियुत्तर 49 ग के साथ अभिलेखीय दस्तावेज पत्रावली में शामिल मिशिल नहीं किये जाते हैं। उपरोक्त दस्तावेज नियमानुसार अपीलार्थी को वापस किये जाये। कार्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक उपक्रम करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 32 ग हेतु **दिनांक 27.01.2022** को पेश हो। प्रार्थना पत्र 122 ग 2 अगली नियत तिथि तक स्वीकृत।

दिनांक– 11.01.2022

(अभिषेक उपाध्याय)
JO CODE– UP1641
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–12,सीतापुर।

श्रेया/स्टेनो

Digitally signed by Abhishek Upadhyaya
Date: 2022.01.13 10:34:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur